

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 99/2011/उदयपुर

मैसर्स सेवा शक्ति मिनरल्स

उदयपुर

अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी

वृत्त-सी, उदयपुर

प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित:

श्री अभिषेक अजमेरा

अभिभाषक

श्री डी.पी.ओझा

उप राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक 23.01.2017

अपीलार्थी की ओर से

प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय

अपीलार्थी द्वारा यह अपील उपायुक्त(अपील्स), वाणिज्यिक कर, उदयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 147/वैट/09-10/वैट में पारित अपील आदेश दिनांक 29.10.2010 के विरुद्ध पेश की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने, वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-बी, उदयपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 76(6) के अन्तर्गत आरोपित शास्ति रु. 44,658/- को यथावत रखा है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि सहयक वाणिज्यिक कर अधिकारी एवं वाणिज्यिक कर निरीक्षक द्वारा दिनांक 04.10.2009 को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर काया गांव के पास गुजरात की ओर से आने वाले वाहन संख्या आर.जी.जे.04 वी 5850 को चेक करने पर उसमें इलेक्ट्रिक मोटर लदे पाये गये, जो भावनगर से गुजरात से भरे गये थे, के सम्बन्ध में दस्तावेज मांगे जाने पर बिल्टी एवं बिल पेश किये गये। उक्त दस्तावेजों के अवलोकन पर ज्ञात हुआ कि परिवहनित माल अधिसूचित माल की श्रेणी में आता है, जिनके परिवहन के समय माल के घोषणा पत्र वैट-47 होना आवश्यक है। अतः अधिनियम की धारा 76 (2)(बी) के प्रावधानों का उल्लंघन होने के कारण अगिम कर्यवाही हेतु पत्रावली कर निर्धारण अधिकारी को स्थानान्तरित की गई। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किये जाने पर, उसकी पालना में कर निर्धारण आदेश दिनांक 04.10.2009 तक घोषणा पत्र वैट-47 प्रस्तुत नहीं करने के कारण माल की कीमत पर 30 प्रतिशत की दर से अधिनियम की धारा 76 (6) शास्ति रु. 44,658/- आरोपित करते हुए निर्धारण आदेश दिनांक 04.10.2009 पारित किया है। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर



उन्होंने आरोपित शास्ति को यथावत रखा है, जिससे असन्तुष्ट होकर व्यवहारी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि नोटिस की पालना में दिय गये उत्तर पर विचार किये बिना ही कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत मांग सृजित की है, जो अविधिक है। उनका कथन है कि प्लाई बोर्ड गांधीधाम से मंगाया गया था और परिवहन के दौरान सभी दस्तावेज वक्त चेकिंग प्रस्तुत किये गये थे। उनका कथन है कि वक्त चेकिंग वैट-47 प्रस्तुत किया गया था जिसका डुप्लीकेट पूर्ण रूप से भरा हुआ था किन्तु मूल पार्ट रिक्त था। उनका कथन है कि मूल प्रति किसी दोषी मानसिकता से रिक्त नहीं रखा गया था वह फर्म पर कार्यरत क्लर्क की गलती से रिक्त रह गया था, जिसमें उसकी कोई कर चोरी की मंशा नहीं थी। वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त-ब, उदयपुर द्वारा अधिनियम की धारा 76(2)(बी) का उल्लंघन मानते हुए अपीलार्थी व्यवहारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा गया क्यों नहीं उक्त माल पर भाड़ा जोड़ते हुए अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत शास्ति आरोपण की कार्यवाही की जावे। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कारण बताओ नोटिस का जवाब दिनांक 05.10.2009 को दिया गया है किन्तु वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त-ब, उदयपुर द्वारा आदेश पत्र दिनांक 04.10.2009 में अंकित किया है कि किसी श्री विकास द्वारा जवाब पेश किया गया, जो विरोधाभाषी है क्योंकि वाहन की चेकिंग 04.10.2009 को की गई है और नोटिस भी 04.10.2009 को दिया गया है। जब नोटिस का जवाब 05.10.2009 को श्री विकास मारवानी द्वारा दिया गया है जो शास्ति पत्रावली के पेज 17 पर उपलब्ध है, तो प्रश्न यह उठता है कि उस जवाब का हवाला वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त-ब, उदयपुर द्वारा दिनांक 04.10.2009 के आदेश पत्र में कैसे दिया गया। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों पर विचार किये बिना ही मांग सृजित की है, जो अपास्त योग्य है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश को अपास्त कर प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।


प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी एवं वाणिज्यिक कर निरीक्षक द्वारा दिनांक 04.10.2009 को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर काया गांव के पास गुजरात की ओर से आने वाले वाहन संख्या आर.जी.



जे.04 वी 5850 को चेक करने पर उसमें इलेक्टिक मोटर लदे पाये गये, जो भावनगर से गुजरात से भरे गये थे, के सम्बन्ध में दस्तावेज मांगे जाने पर बिल्टी एवं बिल पेश किये गये। उक्त दस्तावेजों के अवलोकन पर ज्ञात हुआ कि परिवहनित माल अधिसूचित माल की श्रेणी में आता है, जिनके परिवहन के समय माल के घोषणा पत्र वैट-47 होना आवश्यक है, किन्तु प्रस्तुत दस्तावेजों के साथ घोषणा पत्र वैट-47 नहीं होने के कारण कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत माल की कीमत पर 30 प्रतिशत की दर से शास्ति रु. 44,658/- आरोपित की है, जिससे असन्तुष्ट होकर अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने आरोपित शास्ति को यथावत रखा है।

पत्रावली के अवलोकन यह भी प्रकट होता है कि वाहन की चेकिंग दिनांक 04.10.2009 को सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी की गई थी और उनके द्वारा पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त-ब, उदयपुर को स्थानान्तरित की गई। वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त-ब, उदयपुर द्वारा अधिनियम की धारा 76(2)(बी) का उल्लंघन मानते हुए अपीलार्थी व्यवहारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा गया क्यों नहीं उक्त माल पर भाड़ा जोड़ते हुए अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत शास्ति आरोपण की कार्यवाही की जावे। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब दिनांक 05.10.2009 को दिया गया है किन्तु वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त-ब, उदयपुर द्वारा आदेश पत्र दिनांक 04.10.2009 में अंकित किया है कि किसी श्री विकास द्वारा जवाब पेश किया गया, जो विरोधाभासी है क्योंकि वाहन की चेकिंग 04.10.2009 को की गई है और नोटिस भी 04.10.2009 को दिया गया है। जब नोटिस का जवाब 05.10.2009 को श्री विकास मारवानी द्वारा दिया गया है जो शास्ति पत्रावली के पेज 17 पर उपलब्ध है, तो प्रश्न यह उठता है कि नोटिस का जवाब दिनांक 05.10.2009 को दिया गया है, जिसका हवाला वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त-ब, उदयपुर द्वारा दिनांक 04.10.2009 के आदेश पत्र में कैसे दिया गया, जिससे स्पष्ट है कि शास्ति आरोपण की कार्यवाही अनुचित और अपीलार्थी की उपस्थिति में नहीं की गई। श्री विकास मारवानी द्वारा दिनांक 05.10.2009 को नोटिस के जवाब में अंकित किया है कि "हमने मैसर्स मैहुल इलैक्ट्रीक, भावनगर से बिल न0 1/27 दिनांक 03.10.2009 रुपये 66,300, कृष्ण इलैक्ट्रीक भावनगर बिल न0 1/4 दिनांक 03.10.2009 रुपये 44880/- एवं मैसर्स ताज इलेक्ट्रिकल्स बिल संख्या 2/49 दिनांक 03.10.2009 रुपये 29580/- को पुरानी इलेक्ट्रिक मोटर कॅपिटल गुड्स हेतु खरीदी जिसके खरीद का बिल एवं बिल्टी वाहन के साथ सलंगन थे एवं उक्त माल हमने सी फार्म से खरीद किया है जिसका भुगतान चैक द्वारा किया गया वैट-47 नहीं



लगाया चूंकि केपीटल गुडस हेतु माल क्रय किया था जिस पर वैट-47 की आवश्यकता नहीं है अतः हमारी टैक्स चोरी की कोई मंशा नहीं थी अतः आप से निवेदन है कि उक्त माल पर कर आरोपित नहीं किया जावे माल एवं वाहन आज ही छोड़ने की कृपा करें।”

अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त जवाब देने के पश्चात् कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष वैट-47 क्रमांक 7097033 एवं 7097032 भी प्रस्तुत किये है जो पत्रावली के पेज 29 व 30 पर उपलब्ध है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त तथ्यों को ध्यान में रखे बिना कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को यथावत् रखा है जिसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 05.10.2009 को अपने आदेश पत्रक दिनांक 04.10.2009 में उन्होंने अंकित किया है कि श्री विकास द्वारा जवाब पेश किया गया, जिससे स्पष्ट है कि उन्होंने समस्त कार्यवाही आनन फानन में दिनांक 04.10.2009 को सम्पादित की है

उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आधार पर अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 29.10.2010 एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 04.10.2009 को अपास्त किया जाकर अपीलार्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सदस्य